

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
19 सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001

सूचना/विज्ञप्ति

रिट याचिका संख्या: 24799/2018 आनन्द विकास बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10-12-2018 एवं 18-12-2018 के अनुपालन में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस(नयी नियमावली से आच्छादित) के 01 अभ्यर्थी की दिनांक 24-02-2019 को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

संख्या:पीआरपीबी-एक-1-मृ०आ०(18)/2018

दिनांक:फरवरी/14, 2019


- 1- सूचित किया जाता है कि बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या:पीआरपीबी-एक-1-मृ०आ०(18)/2018 दिनांकित 24-10-2018 के क्रम में सेवाकाल में दिवंगत कर्मियों के आश्रितों की मृतक आश्रित अभ्यर्थियों की उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के 442 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या: 24799/2018 आनन्द विकास बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10-12-2018 एवं 18-12-2018 के अनुपालन में अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: डीजी-चार-124(02)/2019, दिनांक 28 जनवरी, 2019 के क्रम में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद के 01 अभ्यर्थी (सूची संलग्न) की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक-24-02-2019 को 35 वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ में आयोजित की जायेगी
- 2- दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in/> पर दिनांक 18-02-2019 से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 3- दक्षता मूल्यांकन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी से उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 कि०मी० की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
- 4- संगत नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेगें।
- 5- दक्षता मूल्यांकन परीक्षा उपरान्त बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या:पीआरपीबी-एक-1-मृ०आ०(18)/2018 दिनांकित 24-10-2018 के प्रस्तर-4 एवं 5 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार भर्ती के अगले चरण की कार्यवाही की जायेगी।

14.2.19

अपर सचिव (प्रोन्नति)  
उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।

रिट याचिका संख्या: 24799/2018 आनन्द विकास बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10-12-2018 एवं 18-12-2018 के अनुपालन में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस(नयी नियमावली से आच्छादित) के अन्तर्गत मृतक आश्रित अभ्यर्थियों की सूची।

क्र० सं०	मृतक आश्रित का नाम	मृत कर्मी का नाम	मृत्यु के समय नियुक्ति का जनपद/इकाई
1	2	3	4
1	आनन्द विकास	रमाशंकर राम, आरक्षी	देवरिया

  
अपर सचिव, प्रोन्नति  
उ०प्र०पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ